

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

धारा 3 : अनुमानित विकास दर

संक्रमण अवधि के दौरान किसी राज्य के लिए सम्मिलित की गई राजस्व की अनुमानित अभिहित विकास दर चौदह प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।
